

छत्तीसगढ़ की प्रचलित वैवाहिक रस्म : एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. महेश कुमार शुक्ला* सोनिया तिवारी**

* सह प्राध्यापक(इतिहास) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** शोधार्थी, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना - 'विवाह' वेदोक्त सोलह संस्कारों में सम्मिलित एक प्रमुखतम संस्कार है, जिसे विभिन्न नाम दिए गए हैं, इनमें से कुछ हैं, पाणिग्रहण, विवाहोत्सव, परिणय, शादी, ब्याह, गठबंधन इत्यादि। वैदिक विवाह की पद्धति से परम्परानुसार धर्म के मार्ग द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। श्रुति का वचन है - विवाह में दो शरीर, दो मन, बुद्धि, हृदय, प्राण, आत्माओं का समन्वय कर के अगाध प्रेम के व्रत को पालन करने वाले दंपति उमा-महेश्वर सम प्रेम के आदर्श को धारण करते हैं। वैदिक संस्कृति में विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है जो एक यज्ञ है। इसमें दो प्राणी या जातक वर और वधू के रूप में अपने पृथक अस्तित्वों के स्थान पर एक सम्मिलित, एकीकृत इकाई निर्मित करते हैं।

वैदिक संस्कृति के अनुसार वैवाहिक पद्धतियों एवम् परम्पराओं के आठ प्रकार माने गए हैं, ये क्रम से हैं - ब्रम्ह, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। शुभ योग- मुहूर्त में देवी पूजा, वर वरण तिलक, हरिद्वालेप, द्वार पूजा, मंगलाष्टकं, हस्तपीतकरण, मर्यादाकरण, पाणिग्रहण, ग्रंथिबन्धन, प्रतिज्ञाएं, प्रायश्चित, शिलारोहण, सप्तपदी, शपथ आश्वासन आदि परम्पराओं को सम्पन्न किया जाता है। इस विधि से दाम्पत्य संबंध से एक हुए गृहस्थ पारिवारिक संस्था का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप पवित्र दम्पति गर्भाधान संस्कार द्वारा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के ध्येय को चरितार्थ करते हुए उत्तम संतति को समाज एवं राष्ट्र के लिये आहूत करते हैं।

वैवाहिक संस्था के महत्व पर भारतीय वेदों, गृह्यसूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवम् काव्यग्रन्थों में जो दृष्टांत मिलते हैं, वे अक्षरशः सत्य हैं। विवाह संस्कार वैदिक काल से ही अनिवार्य हो चुका था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में वैवाहिक विधि को काव्यमयी अभिव्यक्ति मिली हुई थी। स्मृतियों में भी ब्रम्हचर्य के पूर्णता के पश्चात् प्रत्येक मनुष्य को विवाह करने का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक काल में विवाह काल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक तथा नितांत श्रेयस्कर विधान माना जाता था। सुरों, असुरों, मानवों, गंधर्वों आदि समस्त भिन्न-भिन्न योनियों में विवाह की अनिवार्यता थी, लिहाजा यह विवाह धन, कुल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और आयु की समानता का ध्यान रखकर ही किया जाना उचित माना जाता था। अपने से श्रेष्ठ अथवा अधम के साथ उचित नहीं माना जाता था, भले ही इसके कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण भी मिलते थे। धर्मशास्त्र में आया है कि-

'यथोरात्मसं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः।

तथोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाथमयोः ऋचित् ॥'

एकादश स्कन्ध में वर्णित है कि ब्रम्हचारी को चाहिए कि वह अपने

अनुरूप तथा शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त कुलीन कन्या से विवाह करें। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों यथा ब्रम्हचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है इन चारों आश्रमों की पूर्णता के लिये पाणिग्रहण संस्कार अर्थात् विवाह की आवश्यकता तथा महत्व सर्वस्वीकृत व सर्वमान्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य की लोक संस्कृति में विवाह का कार्यक्रम तीन से पाँच दिवस का होता है। इसकी प्रमुख रस्में निम्नलिखित हैं -

मंगरोहन - यह रस्म विवाह के समय होने वाले अपशकुन को मिटाने के लिए 'यटोटका' के रूप में की जाती है। इस रस्म के अवसर पर यमंगरोहन गीत गाया जाता है। इसमें दो बांसों का मंडप बनाया जाता है। बांसों को आँगन में गड़ाया जाता है। बाँसों के पास माटी के दो कलश रखे जाते हैं, जिनमें दीप जलते रहते हैं। उन्हीं बाँसों के संग नीचे ज़मीन से लगाकर आम, डुमर, गूलर या खदिर की लकड़ी की एक मानवीय आकृति बनाकर रखी जाती है। दोनों बाँसों के साथ दोनों आकृतियाँ स्थापित की जाती हैं। बाँसों के ऊपर, पूरे आँगन में पत्तियों का झालर लटकाया जाता है। इस मानवीय आकृति युक्त लकड़ी को ही मंगरोहन कहा जाता है। यह रस्म विवाह संस्कार का एक अनिवार्य अंग है।

चुलमाटी - विवाह के शुरुआती दिन चुलमाटी की रस्म पूरी की जाती है। यह रस्म कुंवारी मिट्टी लाकर की जाती है। घर की महिलाएँ डेड़हीन (सुवासिन) नए वस्त्र पहनकर देवस्थल या जलाशय के पवित्र स्थान पर जाकर सब्बल से मिट्टी खोदने की रस्म पूरी की जाती है। चुलमाटी के साथ तेल-हल्दी का कार्यक्रम भी प्रारंभ होता है। इसमें घर के आँगन में बाँस की बल्ली से मंडप बनाया जाता है, यहाँ कलश-स्थापना कर वर या वधू को तेल व हल्दी का लेप लगाया जाता है। इस मौके पर खास लोकगीत 'एक तेल चढ़गे ओ हरियर-हरियर, ओ हरियर-हरियर' गाया जाता है।

तेलमाटी - इस संस्कार में भी चुलमाटी की तरह देवस्थल या गांव में निर्धारित स्थल से मिट्टी लाई जाती है और इस मिट्टी को मड़वा यानी मंडप के नीचे रखा जाता है जिसके ऊपर मड़वा बांस व मंगरोहन स्थापित किया जाता है। इस रस्म से मड़वा स्थल पर देवताओं के वास का भाव जुड़ा है।

देवतला - विवाह में अपने ग्राम देवता को पहला आमंत्रण देने के लिये यह संस्कार संपन्न किया जाता है, जो आमंत्रण 'देवतला' कहा जाता है। महिलाओं द्वारा स्थानीय मंदिरों में जाकर ठाकुर देव, शीतला, साहड़ादेव, हनुमान आदि देवी-देवताओं को हल्दी और तेल का लेप चढ़ाती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं कि विवाह मंगलकारी हो।

मायन एवं चिकट – इस रस्म में वर को परदे के आड़ में रख कर सगे-संबंधितियों के द्वारा वस्त्र, द्रव्य और अन्य उपहार-सामग्रियों भेंट में देते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों को 'मायमौरी' कहा जाता है। गीत में गलतियों की माफ़ी मांगी जाती है, और देव अनुग्रह मांगते हुए निवेदन किया जाता है कि, 'देवी-देवता एवं कौटुम्बिक पूर्वज निमंत्रण स्वीकार करें व मंगल कार्य को अच्छी प्रकार पूर्ण करवा दें। इस रस्म में गाया जाने वाला गीत है, 'हाये जोरि न्यौतेव मोर देवी देवाला' जिसके बाद मायन के बाद देवतला की रस्म को पूरा किया जाता है। बारात के प्रस्थान से पहले मंगल कामना के लिये देव-देवताओं का पूजन-आराधन करने के लिये पूरा किया जाता है। बारात के प्रस्थान से पहले मंगल कामना के लिये देव-देवताओं का पूजन-आराधन करने के लिये मंदिर जाते हैं। इस रस्म में महिलाएँ ही हिस्सा लेती हैं। छत्तीसगढ़ी विवाह में हरदियाही कार्यक्रम होता है, इसे चिकट भी कहा जाता है। इसमें मड़वा के नीचे सभी लोग हल्दी खेलते हैं। इस अवसर पर 'अंचरा के छाव दाई मोला देबे दवेऊ भउजी अंचा के छाव' गीत गाया जाता है।

नहडोरी – इस अवसर पर वर या वधू को मंडप के नीचे साफ जल से स्नान करवा कर नए कपड़े धारण करवाये जाते हैं। इस अवसर पर मउर सौपने और कंकन बाँधने के रस्म पूरी की जाती हैं। महिलाओं द्वारा - 'दे तो दाई दे तो दाई अस्सी ओ रूपईया' गीत गाया जाता है।

परछन/मउर परछन – बारात के प्रस्थान पर परछन की रस्म निभाई जाती है जिसमें महिलाएँ पी करे नज़र तथा अन्य अपशकुनों और विपदाओं से बचाने के लिए कलश में जलते दीपक से आरती उतारती हैं। यह रस्म बारात की वापसी पर भी दोहराई जाती है। इसमें - 'जुग जुग जीवो मोर बेटा, बहुरिया जनम जनम हेवाती हो' गीत गाया जाता है।

परघनी/परघउनी – बाराती जब बारात लेकर वधू के घर पहुंचते हैं तब उन्हें परघाया यानी स्वागत किया जाता है, इसे परघनी कहते हैं। परघनी के बाद बारातियों को जेवनासा ले जाया जाता है। इस अवसर पर भडौनी गीत गाया जाता है।

लालभाजी/रातिभाजी – परघनी के बाद लालभाजी की रस्म निभाई जाती है इसमें वधू की छोटी बहन वर को लाल भाजी खिलाती है। यह रस्म हल्की-फुल्की मस्ती से भरी होती है।

पाणिग्रहण – इस रस्म में वधू के पिता द्वारा वर के हाथों में वधू का हाथ रखा जाता है, उसमें आटे की लोई रखकर धागे से बांधते हैं। इसके बाद वर और वधू के पैरों के अंगूठों को दूध से धोया जाता है, फिर माथे पर चावल टिकते हैं।

भांवर – यह छत्तीसगढ़ के बिहाव संस्कार की अनिवार्य रस्म है। इस रस्म के पूर्ण होने पर वर और वधू पूर्ण रूप से परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। मड़वा के नीचे सील रखकर उसमें सिंगोलिया रखा जाता है जिसे वधू द्वारा प्रत्येक फेरे के पश्चात् अपने पैरों से गिराया जाता है। अग्निवेदी में प्रज्वलित अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रोच्चारण के साथ भांवर घूम कर वर-वधू द्वारा आजीवन साथ निभाने की शपथ ली जाती है।

टिकावन – यह वर रस्म है जिसमें विवाह में पधारे परिजन सामर्थ्यानुसार टिकावन के रूप में वधू को उपहार देते हैं, जिसके पश्चात् भाव विह्वल कर देने वाली वधू की विदाई की रस्म सम्पन्न होती है।

डोली परछन – यह छत्तीसगढ़ में एक तरह का टोटका होता है। जब डोली घर के द्वार पर रुकती है, उस समय लड़के की माँ डोली के ऊपर सूपा रखकर

पांच मुट्ठी नमक रखती है। ऊपर से मुसर को इस पार से उस पार करती है। इसके बाद मायके के झेंझरी में जिस पर धान भरा होता है, बहू को उस पर पैर रख कर उतारा जाता है। भीतर जाकर वधू मायके के चावल को सात डिब्बों में भरती है, उसे हर बार वर पैरों की ठोकर से गिरा देता है। चावल भरने के ढंग से वधू की कार्यकुशलता का अंदाजा लगाया जाता है। डोला परछन का आशय वधू का अपने नए घर में स्वागत और लक्ष्मी का अभिनंदन है।

कंकन मोक्ष-मउर या धरमटीका – यह रस्म वर-वधू के संकोच को दूर करने का उपक्रम होती है जिसे वर के घर पर पूरा किया जाता है। इस रस्म में कन्या के घर से लाए लोचन पानी को एक परात में रखकर दूल्हा-दुल्हन का मड़वा के समीप एक-दूसरे का कंकन छुड़वाया जाता है। इसके बाद लोचन पानी में कौड़ी, सिक्का, माला, मुंदरी, खेलाते हैं, इसमें वर एक हाथ से और वधू दोनों हाथों से सिक्के को ढूँढ़ते हैं। जो सिक्का पहले पाता है वह खेल में जीत जाता है। यह नेंग सात बार किया जाता है। इसके बाद सभी टिकावन टिकते हैं, जिसे धरमटीका कहते हैं।

इसी श्रृंखला में भारत में प्रत्येक प्रदेश में विवाह की अपनी-अपनी विविधताएँ एवं विशेषताएँ हैं। इन सब के पीछे सर्वमान्य सत्य है कि हमारी मानव सभ्यता विविधतम परंपराओं, परिपाटियों, संस्कृतियों को साथ लेकर, उनके समन्वयन के साथ निरन्तर आगे बढ़ रही है।

भारतीय विवाह की वैदिक परंपराएँ एवम् पद्धतियाँ एक आनंदोत्सव है, जिसमें समग्र ईश्वरीय सत्ता को निमंत्रित किया जाता है। विवाह आदिकाल से मानव संस्कृति की अतीव महत्वपूर्ण प्रथा है, जो एक मर्यादित समाजिक बंधन है, जिसे समाज के निर्माण की सबसे अणुतम इकाई अर्थात् विभु परिवार का मूल माना जाता है। भारतीय संस्कृति में विवाह पर जन आस्था सदियों से रही है।

हमारी वैदिक कालीन वैवाहिक पद्धतियाँ एवं परम्पराएँ मर्यादाओं की हितैषी हैं। यह कर्तव्यों एवं अधिकारों की मर्यादाओं को प्रोत्साहित करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में वैदिक विवाह संस्कार की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अभिमंत्रित कर मर्यादा के गठबंधन से बांधकर वचनों से प्रतिबद्ध कर व्रत धारण करवाए जाते हैं। यह जीवन को संकल्प और व्रत बनाकर जातक को सही दिशा और गति प्रदान करते हैं। मंत्रों के सही उच्चारण से ये सजीव हो उठते हैं, क्योंकि मंत्रों का समूचा अस्तित्व ध्वनियों का एक संचरण-तंत्र है, जिनमें ब्रम्हाण्ड के प्रत्येक आयाम को खोलने वाली कुंजियां स्थित हैं। विवाह का जन्म ही मर्यादा के अस्तित्व को लक्षित कर हुआ है। यह सर्वविदित सत्य है कि मर्यादा के अस्तित्व को लक्षित कर हुआ है। यह सर्वविदित सत्य है कि मर्यादा ही विवाह को अनुप्राणित करती है। मर्यादा में बंधे वैवाहिक बन्धन ही सफल और खुशहाल बन्धन हैं। यदि विवाह असफल होते हैं तो उनका कारण मर्यादाहीनता, वर्जनाओं के विभिन्न रूप ही हैं जो आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक, वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न स्तरों पर की जाती हैं, और इतिहास साक्षी है कि जब-जब मर्यादाएँ टूटती हैं, टूटी हैं तब-तब समाज टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं, राष्ट्रीय एकता खण्डित होती है, वैश्विक विषमताएँ उत्पन्न होती हैं।

वैदिक विवाह की पद्धतियाँ और परम्पराओं के प्रति वेदों का उद्घोष है कि,

दाम्पत्यमनुकूलं चेत्किं स्वर्गस्य प्रयोजनम्।

दाम्पत्यं प्रतिकूलं चेन्नरकं किं गृहमेव तत्॥

अर्थात्, मनुष्य का दाम्पत्य जीवन यदि अनुकूल हो तो स्वर्ग का क्या

प्रयोजन है, साथ ही यदि मनुष्य का दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल हो जाए तो नर्क क्या है, वह घर ही नर्क बन जाता है।

भारतीय राष्ट्र में शिव-शक्ति, सीता-राम, रूक्मिणी-कृष्ण, अग्नि-अनुसूया, वशिष्ठ-अरुंधति जैसे वैदिक सद्गुरुओं के उदाहरण यह प्रतिपादित करते हैं कि वेदसम्मत जीवन पद्धति में सृष्टि-संचालन, धर्म, याज्ञिक अनुष्ठानों, आर्थिकोपार्जन से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की यात्रा की पूर्णता के निमित्त विवाह की व्यवस्था पर विश्वास किया गया है। इस प्रकार यह आदिकाल से चली आ रही हमारी संस्कृति, सभ्यता के परंपरागत मूल्य हैं जो हमारी अनमोल धाती हैं। विवाह यहाँ मात्र एक संयोग, आवश्यकता, परिपाटी होने की सीमा से भी आगे की विस्तृत एवं व्यापक व्यवस्था है, जिससे जुड़े वैदिक इतिहास पर अभी अनुसंधान शेष है। विवाह वह संस्था है जो सबका मूल है, इसके आधार पर अन्य समस्त सत्ताएँ अपने अस्तित्व को कायम रखे हैं। विवाह जब तर्कसंगत होता है तो वह पशु को मानव और मानव को ईश्वर बनाने की शक्ति एवं सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह स्वयं में एक आचार-संहिता, एक संविधान बन जाता है और ऐसी न्याय व्यवस्था को जन्म देता है जो प्राकृतिक ममता और समता की रीति-नीति पर आधारित होती है।

इस प्रकार वैदिक कालीन पद्धति तथा परम्पराओं पर आधारित विवाह का आयोजन धर्म सम्मत आधार पर सम्पन्न होता है जिसमें अनेक धार्मिक क्रियाएं सम्पन्न की जाती हैं। इस धार्मिक भावना से उपजा पति-पत्नी का आपसी सम्बन्ध स्थायी और जन्म-जन्मान्तर का होता है। भारत के आर्षग्रंथों

के अन्तर्गत विवाह सम्बन्धित सृष्टि की विवेचना की गई है, जिन के अध्ययन तथा अनुशीलन द्वारा व्यक्तित्व के विकास में विवाह की प्रधानता और महत्व का प्रतिपादन किया गया है। धर्म से प्रेरित विवाह संस्था हर युग में अनुशासन, मर्यादा और श्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करती आ रही है जो 'विवाह' के समसामयिक महत्ता का परिचायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर्य रवि प्रकाश, वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता, 2022, आईएसबीएन: 9789394724037, इंडियन फाउंडेशन फॉर वैदिक साइंस, रोहतक।
2. अथर्ववेद।
3. कृष्णद्वैपायन रचित 'श्रीमद्भागवतमहापुराण' (प्यारे लाल त्रिवेदी द्वारा सरल पद्यानुवाद-दोहा, चौपाई-छन्द में), 1 जनवरी 2019, आईएसबीएन- 10 819426751 एक्स, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन।
4. मीणा सुनीता, धर्मशास्त्रों के संदर्भ में गृहस्थाश्रम-विवेचन, सं. 2014, आईएसबीएन: 9789381951613, साहित्यिक मण्डल, जयपुर
5. कोठारी गुलाब, विवाह-सूक्त (ऋग्वेद 10.07.85, कर्पूर भाष्य), 2015 सं., आईएसबीएन 9789381224045, वेद-विज्ञान माला, पं० मधुसूदन ओझा वैदिक अध्ययन एवं शोध-पीठ संस्थान।
6. मिश्र श्रीनारायण (शुभांशु लेखक), केशव किशोर कश्यप (संपादक), कृष्णदास संस्कृत श्रृंखला 202, 'मनुस्मृति:', (1 जनवरी 2007), प्र.स., चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
